न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–11 / 2021

योगेन्द्र पासवान.....वादी

बनाम

लालन पासवान वगैरह .....प्रतिवादीगण

आदेश

01.02.23 अभिलेख आज वादी की ओर से दीवानी प्रकिया संहिता के आदेश 26 नियम 9 के अंतर्गत सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–27.06.2022 तथा उसके तत्संबंधित प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–19.09.2022 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा वर्तमान वाद वादपत्र के मद सं0–1 में उल्लिखित भूमि पर हकियत की उद्घोषणा तथा दखल–कब्जा की मांग हेतु दाखिल किया गया है तथा न्याय के उद्देश्य से विवादित भूमि का अन्वेषण आवेदनांकित तथ्यों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। ताकि स्थल पर वर्तमान वस्तुस्थिति के संबंध में प्रश्न आवश्यक प्रकाश डालेगा। अन्वेषण संबंधी बिन्दु में उन्होंने विवादित स्थल पर अवस्थित मकान के स्वामित्व, कुल रकवा तथा प्रतिवादी के दखल–कब्जा के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की।

उपरोक्त आवेदन के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी ने निवेदन किया है कि विवादित भूमि वादी की नहीं है और वादी के विक्रेता के पूर्वज बिहारी पासवान द्वारा ही वह भूमि अन्य व्यक्ति को विक्रय की जा चुकी है। अतः वादी के विक्रेता को भूमि बचती ही नहीं है और उनका दावा बिना हक–हिस्सा और अधिकार है। आवेदन की बातें मनग्रहंथ है और आवेदनांकित अन्वेषण बिन्दु स्पष्ट नहीं है। वर्तमान वाद में स्थल जॉच संबंधी अधिवक्ता आयुक्त का निरीक्षण हो चुका है और जॉच प्रतिवेदन लंबित है अतः उस पर बिना गुण–दोष के विचार किए दूसरे अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति होना दोषपूर्ण है और आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा वर्तमान वाद वादपत्र के मद सं0–1 में उल्लिख्ति विवादित भूमि के निस्बत अपने हकियत की उद्घोषणा और दखल–कब्जा वापसी की डिक्री हेतु दाखिल किया गया है। अतः इस वाद में यह साबित करने का पूर्ण भार वादी पर है कि वे विवादित भूमि पर बेदखली के पूर्व

T.S- 11/2021

01.02.23 दखल–कब्जा में थे तथा उनकी बेदखली नाजायज है। वादपत्र की कंडिका–4 एवं 6 के अनुसार प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष का आधा–आधा हिस्सा होना वादी द्वारा स्वीकृत है जबकि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के पिता बिहारी पासवान द्वारा संघर्षरत प्रतिवादी के पक्ष में विकयविलेख का निष्पादन होना लिखित कथन की कंडिका–7 में अभिवचित है जो विकयविलेख दिनांक–15.08.1936 के द्वारा अभिवचित है जबकि वादी के हकियत का दस्तावेज पश्चात्वर्ती विकयविलेख के आधार पर अभिवचित है। इस प्रकार दखल–कब्जा के संबंध में तथा हकियत के संबंध में प्रथम दृष्टया वादी पश्चात्वर्ती केता हैं और यह साबित करने का भार उनपर है कि वे विवादित भूमि में विकयविलेख निष्पादन के पश्चात् दखल–कब्जा में आए और उन्हें प्रतिवादीगणों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से बेदखल किया गया। यदि वादी के आवेदन में बिन्दु सं0–1 को देखा जाए तो उसमें वादी ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर मकान अवस्थित है, परन्तु फिर भी वे उस मकान की स्वामित्व के बारे में जानकारी चाहते हैं जो विनिर्दिष्ट रूप से उनके द्वारा साबित किया जाना है। अतः किसी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त द्वारा स्वामित्व अथवा दखल–कब्जा के संबंध में किसी प्रकार के प्रतिवेदन की मांग कराया जाना वादी के पक्ष में साक्ष्य का संकलन माना जाएगा और यह प्रतिवादी को पूर्णरुपेण प्रभावित करेगा। अतः न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन खारिज किया जाता है एवं अभिलेखल को दिनांक– 15-03-2023 वास्ते धारा–89 सी0पी0सी0 पर सुनवाई हेतु नियत किया जाता है।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी।
1/2/2023